भारत सरकार

जनजातीय कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं- †2381

उत्तर देने की तारीख- 13/12/2021

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता), अधिनियम, 2006

†2381. श्री. बी.वाई.राघवेन्द्र :

सुश्री दिया कुमारी :

क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के प्रभावी कार्यान्वयन और वनवासियों के संरक्षण के लिए इसमें संशोधन करने के लिए कोई कदम उठा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इस संबंध में निर्धारित समय-सीमा क्या है और 2008 में अधिनियम के तहत बनाए गए नियमों का ब्यौरा क्या है;

(ग) वन अधिकार अधिनियम, 2006 के राज्य-वार कार्यान्वयन की स्थिति का राजस्थान सहित ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार सामुदायिक अधिकारों के दावों के शीघ्र निवारण में तेजी लाने के लिए मैपिंग संबंधी गतिविधियों का संचालन करना चाहती है और यदि हां,तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ड.) क्या सरकार ने वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए वर्तमान में स्थानीय प्राधिकरणों में सुधार और उन्हें सशक्त बनाने के लिए रणनीति तैयार की है या करने का विचार किया है या नही, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) इन संबंध में प्राप्त आवेदनों की संख्या कितनी है और लंबित आवेदनों सहित इन आवेदनों के निपटान के लिए क्या कार्रवाई की जा रही हैं?

उत्तर

जनजातीय कार्य राज्यमंत्री

(श्री विश्वेश्वर टुडु)

(क) से (ख) : जी नहीं, अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (संक्षेप में एफआरए) में संशोधन का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) : अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के तहत वन अधिकारों का कार्यान्वयन और उसके तहत वन अधिकारों की मान्यता राज्य सरकारों के दायरे में आने वाली एक निरंतर गतिविधि है।

(घ) : वन अधिकार नियमावली के नियम 6(ख) के अनुसार, उपमंडल स्तरीय समिति (एसडीएलसी) ग्राम सभा या वन अधिकार समिति को वन और राजस्व मानचित्र और मतदाता सूची उपलब्ध कराएगी।

साथ ही, वन अधिकार नियमावली के नियम 8(क) के अनुसार, जिला स्तरीय समिति यह सुनिश्चित करेगी कि नियम 6 के खंड (ख) के तहत आवश्यक जानकारी ग्राम सभा या वन अधिकार समिति को प्रदान की गई है।

इसके अलावा, जनजातीय कार्य मंत्रालय (एमओटीए) ने सामुदायिक वन संसाधन अधिकारों और सामुदायिक उद्देश्यों के तहत वन भूमि की पहचान के लिए भू-संदर्भ के संबंध में दिनांक 28.04.2021 को परिपत्र जारी किया और साथ ही वास्तविक दावेदारों की पहचान करने के लिए जीपीएस/एंड्रॉइड फोन आदि का उपयोग करते हुए दावों के जमीनी सत्यापन के साथ-साथ जहां एफआरए लागू किए जाने की संभावना है, ऐसे संभावित क्षेत्रों के चित्रण और मानचित्रों के निर्माण की आवश्यकता पर बल दिया। एमओटीए ने 27.07.2015 को दिशानिर्देश भी जारी किए जिन्हें एफआरए कार्यान्वयन की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए प्रौद्योगिकी और भू-संदर्भ के उपयोग के लिए लागू किया जा सकता है।

(ड.) से (च) : जनजातीय कार्य मंत्रालय और पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने एफआरए के त्वरित कार्यान्वयन को सक्षम करने के लिए जुलाई, 2021 में एक संयुक्त परामर्श जारी किया है।

*****